कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 68/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 17.02.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 17.02.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना – रौनापार, जनपद – आजमगढ़

साइबर फ्रॉड के 60,000/- रुपये पीड़ित के खाते में वापस कराए गए

घटना का विवरण :

आवेदक श्री सुखराम प्रजापति पुत्र सूर्यनाथ प्रजापति निवासी ग्राम देवरिया, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़, जो दिल्ली में एक प्राइवेट कम्पनी में कार्यरत हैं, दिनांक 19.09.2025 को बाजार में खरीदारी के दौरान एक अज्ञात महिला द्वारा फोन करने के बहाने उनका मोबाइल मांग लिया गया। आवेदक द्वारा मानवता के नाते मोबाइल दे दिया गया। महिला द्वारा कुछ समय तक फोन का उपयोग करने के बाद मोबाइल वापस कर दिया गया।

दिनांक 24.09.2025 को जब आवेदक ने अपने बैंक खाते की जांच की तो उनके खाते से कुल 90,000/- रुपये की अनधिकृत निकासी पाई गई। इस संबंध में आवेदक के भाई द्वारा थाना रौनापार पर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर साइबर टीम द्वारा शिकायत संख्या **2310925XXXXX** दर्ज की गई।

बरामदगी का विवरण :

शिकायत दर्ज होने के उपरांत साइबर टीम रौनापार/आजमगढ़ द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंकों से पत्राचार/वार्ता कर फ्रॉडस्टर के SBI बैंक खाते में 60,000/- रुपये होल्ड कराए गए। तत्पश्चात विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय से धनराशि रिलीज संबंधी आदेश प्राप्त कर दिनांक 16.02.2026 को 60,000/- रुपये पीड़ित के खाते में वापस कराए गए।

पुलिस टीम :

1. साइबर टीम थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

➡ जनपद पुलिस आमजन से अपील करती है कि अपना मोबाइल, ओटीपी, बैंक विवरण अथवा निजी जानकारी किसी अज्ञात व्यक्ति को न दें। किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक – 17.02.2026

थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत अपहरण व पॉक्सो एक्ट से संबंधित 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना :

दिनांक 21.10.2025 को वादिनी थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि उनकी नाबालिग पुत्री को दिनांक 19.10.2025 को अफजलपुर क्षेत्र से अभियुक्त द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया। उक्त तहरीर के आधार पर थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0 322/25 धारा 87 बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर धारा 137(2)/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तारी का विवरण :

दिनांक 17.02.2026 को उ0नि0 विनय कुमार मय हमराह का0 ऋषि कुमार व का0 मनोज कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र व पेंडिंग विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर बबूरा बाजार से अभियुक्त बंटी पुत्र रविंद्र राम निवासी कुददनपुर थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 19 वर्ष को समय करीब 11:25 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त को मु0अ0सं0 322/25 धारा 87/137(2)/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ में नामजद अभियुक्त बताते हुए विधिक कार्यवाही की गई। जामा तलाशी में कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई।

पंजीकृत अभियोग :

मु0अ0सं0 322/25 धारा 87/137(2)/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त :

बंटी पुत्र रविंद्र राम निवासी कुददनपुर थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर, उम्र करीब 19 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :

उ0नि0 विनय कुमार मय हमराह का0 ऋषि कुमार व का0 मनोज कुमार, थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

➡️ जनपद पुलिस महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। *मिशन शक्ति 5.0 अभियान* के अंतर्गत महिला संबंधी अपराधों में त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही लगातार की जा रही है।

उत्तर प्रदेश पुलिस

प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक- 17.02.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 12 आरोपी अभियुक्तो को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए **प्रत्येक को आजीवन कारावास व 66500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

थाना मुबारकपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें हत्या के आरोप मे 12 अभियुक्तो को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 66500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 30.04.1999 को वादी मुकदमा नासिर हुसैन पुत्र मो0 अय्यूब निवासी पुरानी बस्ती बखरी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि **सुन्नी संप्रदाय के अभियुक्तगण 1. अफजाल पुत्र अब्दुल खालिक 2. अलाउद्दीन पुत्र अब्दुल मन्नान 3. दिलशाद पुत्र इरशाद अहमद 4. वसीम अहमद पुत्र कमरुद्दीन 5. मो0 असहद पुत्र मो0 नजीर 6. हुसैन अहमद पुत्र इद्रीश निवासीगण हैदराबाद थाना मुबारकपुर 7. मु0 अय्यूब फैजी पुत्र हाजी मु0 सुलेमान 8. फहीम अख्तर पुत्र हाजी मु0 सुलेमान 9. असरार अहमद पुत्र इरशाद अहमद 10. मो0 याकूब पुत्र हाजी मु0 सुलेमान निवासीगण दुलहनपारा थाना मुबारकपुर 11. अली जहीर पुत्र अहमद अली 12. इरशाद अहमद पुत्र नेसार निवासीगण पुरा सोफी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा वादी के चाचा अली अकबर को मोहर्रम के जुलूस से लौटते समय मारना पीटना व सिर काटकर सिर कटी लाश को राजा भाट के पोखरे मे छुपा देना।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0- 94/1999 धारा-147,148,149,302,120B,201 भादवि पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमे उपरोक्त मे 8 गवाहो को परीक्षित कराया गया।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 17.02.2026 को मा0 न्यायालय जनपद न्यायाधीश कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्तगण 1. अफजाल पुत्र अब्दुल खालिक 2. अलाउद्दीन पुत्र अब्दुल मन्नान 3. दिलशाद पुत्र इरशाद अहमद 4. वसीम अहमद पुत्र कमरुद्दीन 5. मो0 असहद पुत्र मो0 नजीर 6. हुसैन अहमद पुत्र इद्रीश निवासीगण हैदराबाद थाना मुबारकपुर 7. मु0 अय्यूब फैजी पुत्र हाजी मु0 सुलेमान 8. फहीम अख्तर पुत्र हाजी मु0 सुलेमान 9. असरार अहमद पुत्र इरशाद अहमद 10. मो0 याकूब पुत्र हाजी मु0 सुलेमान निवासीगण दुलहनपारा थाना मुबारकपुर 11. अली जहीर पुत्र अहमद अली 12. इरशाद अहमद पुत्र नेसार निवासीगण पुरा सोफी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 66500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

उत्तर प्रदेश पुलिस